न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 07/2025

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही सदर जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री धनाराम पुत्र श्री जसुराम जाति जाट निवासी जेठानिया पुलिस थाना देचू जोधपुर।
2. श्री पप्पूराम पुत्र श्री वीरदाराम जाति विश्नोई निवासी कुसलावा पुलिस थाना लोहावट जिला जोधपुर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2024 को सरहद सिन्दरथ में सिन्दरथ से खाम्बल जाने वाली सडक पर एक पिकअप वाहन नं. आरजे 28 जीए 3497 के पीछे रखे 10 प्लास्टिक के ड्रम करीब 200–200 लीटर क्षमता के पेट्रोल से भरे हुए थे, जिनमें लगभग 2000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के पेट्रोल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से पेट्रोल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 10.03.2024 को सरहद सिन्दरथ में सिन्दरथ से खाम्बल जाने वाली सडक पर श्री धनाराम पुत्र श्री जसुराम जाति जाट निवासी जेठानिया पुलिस थाना देचू जोधपुर द्वारा पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 28 जीए 3497 के पीछे रखे 10 प्लास्टिक के ड्रम करीब 200–200 लीटर क्षमता के पेट्रोल से भरे हुए पाए गए, जिनमें लगभग 2000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 2000 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो से उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी संख्या एक व दो ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के पेट्रोल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त

जिला कलेक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही

Scanned with CamScanner

पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया एवं उक्त पेट्रोल के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व दो को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे अतः अप्रार्थी संख्या एक व दो का जवाब देने का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व दो बहस हेतु नियत तिथि पर भी उपस्थित नहीं हुए, अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2024 को सरहद सिन्दरथ में सिन्दरथ से खाम्बल जाने वाली सडक पर श्री धनाराम पुत्र श्री जसुराम जाति जाट निवासी जेठानिया पुलिस थाना देचू जोधपुर द्वारा पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 28 जीए 3497 के पीछे रखे 10 प्लास्टिक के ड्रम करीब 200–200 लीटर क्षमता के पेट्रोल से भरे हुए पाए गए, जिनमें लगभग 2000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 2000 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया। अप्रार्थी संख्या एक व दो से उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया और न ही इस संबंध में अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पेट्रोल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 2000 लीटर पेट्रोल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 2000 लीटर पेट्रोल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner